IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(~~CIVIL~~ Criminal WRIT JURISDICTION)

Cr.W.J.C. NO. ______________/ Of 2013

Umesh Yadav & Anr. .... Petitioners.

Versus

The State of Bihar & Ors. .... Respondents.

Sub:- Criminal writ - for Direction

INDEX

SL.NO.	PARTICULARS.	PAGES
1	2	3
1	Main Petition with Affidavit & Synopsis	1-10
2.	Annexure-1-A photo copy of the Judgment Dt. 30.9.1996	11-18
3.	Annexure-2-A photo copy of the rent receipt	19-20
4.	Annexure-3- A photo copy of the application.	21-22
5.	Annexure-4- A photo copy of the representation Dt. 23.6.2010, 8.10.2011, 9.2.2012,11.9.2012, 17.8.2013	23-28
6.	**VAKALATNAMA.**	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

(Criminal Writ Jurisdiction)

Cr.W.J.C.No.____________/ Of 2013

Umesh Yadav & Anr. .... Petitioners.

Versus

The State of Bihar & Ors. .... Respondents.

Sub:-

<u>S Y N O P S I S</u>

That this Criminal Writ application is being filed by the petitioners in the nature of mandamus for the direction to the respondents to protect from the Private respondents to not evict the petitioners forcefully from the self acquired land / properties of his father land which was purchased by his late father by the registered sale deed and the learned court of

Munsif Madhepura declared title and possession over the same land in T.S. No. 18/94.

30.9.1996 Learned Trial Court (Munsif) declared the title possession over the land in T.S. No. 184/1994.

2005-06 Vide Mutation Case no. 498-2005-2006 Land Mutated in favor of the petitioners.

29.7.2009 Petitioner filed a petition along with fee for the measurement of land.

2010 to 2013 Petitioner filed several representation before the authority concerned, but not considered by them.

HENCE THIS WRIT APPLICATION.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

(Criminal Writ Jurisdiction)

Cr.W.J.C.No._____________/ Of 2013

In the matter of an application Under Article 226 & 227 of the Constitution of India;

And.

In the matter of:

1-Umesh Yadav Son of late Sitabi Yadav

2-Lalhu Yadav Son of late Sitabi Yadav.

Both are residents of Village- Fulaut, P.S. Chausa, District-Madhepura.

.... Petitioners.

Versus

1-The State of Bihar.

2-District Magistrate, Madhepura.

3-Supritendent of Police, Madhepura.

4-Officer-In-Charge Chausa Police Station, District- Madhepura.

5-Circle Officer, Chausa, District- Madhepura.

6-Suresh Yadav Son of Somar Yadav

7- Nago Yadav Son of Somar Yadav.

8-Dablu Yadav Son of late Chandeshwari Yadav.

..................................Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha. M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the above named Petitioner:

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:-

1-That this Criminal Writ application is being filed by the petitioners in the nature of mandamus for the direction to the

respondents to protect from the Private respondents to not evict the petitioners forcefully from the self acquired land / properties of his father land which was purchased by his late father by the registered sale deed and the learned court of Munsif Madhepura declared title and possession over the same land in T.S. No. 18/94.

2. That the petitioners filed this Writ application on the following GROUNDS:-

i) For that the action of the respondents to not considered the grievance of the petitioner (representation) is completely arbitrary in nature.

ii) For that the petitioners/ plaintiffs were decree holder in T.S.No. 18/94 and the learned Court of Munsif Madhepura declared title possession over the same land to the petitioner/ plaintiff.

iii) For that it reflects from the acts of the respondents that they are in connivance with the private respondents.

iv) For that the part of the land is the residential and part of the land is used in agricultural purpose.

v) For that the land in question are the purchased land by the registered Sale deed from his late father.

vi) For that the land is under the possession of the petitioner and mutation in favor of the petitioner. Petitioner continuously pay the rent of the land.

vii) For that the private respondents allway threatened the petitioners to evict from the land.

viii) For that private respondents always threatened the petitioners and their family members to vacate the land otherwise ready for dire consequence.

ix)For that any other grounds / grounds urged at the time of arguments.

3. That the petitioner is citizen of India and resident of Bihar thus he is entitle to invoke the writ Jurisdiction of this Hon'ble High Court.

4. That the land vide Khata no. 328 Kheshra no. (plot) 3111 measuring 4.5 decimal and plot no. 3112 measuring 3.4 decimal purchased by the late father of the petitioner by the registered sale deed.

5. That the father of the petitioner took the possession over the same land.

6. That after the death of the father of the petitioner his agents (Private respondent) claimed over the land.

7. That due to dispute over the land petitioners filed a Title suit vide T.S. no. 18/94 in the court of learned Munsif Madhepura.

8. That the Learned Munsif Madhepura vide Judgment dt. 30.5.96 decreed the suit in favor of the plaintiff/ petitioners and declared the title possession over the same land.

A photo copy of the Judgment dt. 30.9.1996 is being annexed and marked as Annexure-1 to this petition.

9. That thereafter petitioner filed an application before the Circle Officer for the mutation of the land.

10. That the Circle Officer invited objection from the Private respondents earlier to the mutation.

11. That no objection filed by the Private respondents in Mutation Case no. 498-2005-2006.

12. That the Learned Circle Officer after proper verification of the spot mutated the land in favor of the petitioners.

13. That from till now petitioner deposited the rent of land.

A photo copy of the rent receipt is being annexed and marked as Annexure-2 to this petition.

14. That the private respondents always threatened the petitioner to vacate the land and made claim over the land.

15. That the petitioner filed an application before the Circle Officer Chausa for the measurement of land and deposited the fee of Rs. 500/- for the same.

A photo copy of the application along with fee receipt is being annexed and marked as Annexure-3 to this petition.

16. That the respondent authority have not measured the land in the connivance of the private respondents.

17. That on the forceful effect of the private respondents to evict from the agricultural land and residential houses petitioner moved before the authority concerned for the protection from the private respondents.

18. That the petitioners and their family filed several representation before the authority concerned for the protection from the private respondents.

A photo copy of the representation dt. 23.6.2010, 8.10.2011, 9.2.2012, 11.9.2012, 17.8.13 is being annexed and marked as Annexure-4 to this petition.

19. That the respondents have not taken consideration on the above mentioned representation.

20. That the act of the respondents reflects that they are in connivance with the private respondents.

21. That the petitioner visited the Office of the Officer in Charge of the Police Station and Circle Officer but no are ready to hear the grievance.

22. That the petitioners are poor and illiterate persons so no one bother to take ...Care.... ~~to case them~~. On the other hand private respondents ~~one~~ are Criminal minded powerful mussel men.

23. That it is relevant to mentioned here that the private respondents have not filed appeal against the order/Judgment passed in the Title Suit no. 18/94 . Thus the order of the learned Munsif became finality.

24. That the action of the respondent is completely arbitrary in nature.

25. That the petitioners are declared title holder of the said land.

26. That there is no alternative and efficious remedy save and except to move before this Hon'ble Court.

27. That the petitioner has not earlier filed any Writ petition for the same relief.

It is, therefore,prayed that Your Lordships may graciously be pleased to admit this petition Issue notice to the respondent as to why prayer prayed in Para-1 of the petition may not be allowed and after hearing the parties allow the prayer which is prayed in Para-1 of the petition.

And/Or

Pass such other order/orders as Your Lordships may deem fit and proper.

And for this the Petitioners shall ever pray.

AFFIDAVIT

I,Umesh Yadav Aged about 52 Yrs Son of late Sitabi Yadav Resident of Village- Fulaut, P.S. Chausa, District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1-That I am Petitioner in this instant case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of this case.

2-That the contents of this application which have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same.

3-That the Statements made in paragraph nos 3,4,5,6,9 to 12, 14,16,17, 19 to 27 are true to my knowledge and those made in paragraphs nos 7,8,13,15,18 are true to my information derived from the records of the case and the rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.

4. That the Annexures are true/typed/photo copies of their respective originals.

18071 ०.) Ameime |

//

जिला मधेपुरा।

बइजलास,
मुंसिफ - मधेपुरा।

प्रस्तुत करते हैं- गंगा प्रसाद,
मुंसिफ मधेपुरा।

दिनांक- मधेपुरा- 30.9.1996 ई.

अधिकार वाद संख्या- 184-1994

लेल्हू यादव वगैरह ———————— वादी।

बनाम

सुरेश यादव ———————— प्रतिवादी।

वादीगण के कोल- श्री धीरेन्द्र झा, "अधिवक्ता"

प्रतिवादी केकोल- श्री भूपेन्द्र कुमार यादव

फैसला- (1) वादीगण के द्वारा यह बंटवारानामा इस धोषणा के साथ दायर किया गया है कि वादीगण वादपत्र में अंकित सिड्यूल पर्द की जमीन में हिस्सा पाने का हकदार है। वादीगण ने पुनः सर्वे के सर्व- धित अधिवक्ता कमीशनर को नियुक्ति कर बंटवारा प्रभावी करने हेतु प्रार्थना किये हैं तथा वादीगण के अलग हिस्से पाने की मांग किये हैं। वादीगण का मामला संक्षेप में यह है कि वादीगण और प्रतिवादीगण आपस में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। जो हिन्दू मिताक्षरा कानून से ~~नियंत्रित~~ नियंत्रित होते हैं जो श्री राम दुलार गोप जो उन सबों के समान पूर्वज है। जिन्हें दो पुत्र थे। (1) धोर गोपाल घोष उर्फ दिगपाल एवं स्व0 मामनो गोप । स्व0 धोर गोपाल गोप को एकमात्र पुत्र मलल गोप ~~xx~~ थे उर्फ पद्धोर जिन्हें एक पुत्र अयोधी यादव थे।। अयोधी यादव अपने मृत्यु से पूर्व चार पुत्रियां तारा देवी. लेलती देवी, कांती देवी और फुलिया देवी जो प्रतिवादी तोलके पक्षकार हैं।

3) वादीगण का आगे कहना है कि चूंकि स्व0 अयोधी यादव को कोई भी पुत्र संतान नहीं थी, इसलिए वादी संख्या एक ने उनका श्राद्ध- कर्म किये। जैसी कि उनकी अंतिम इच्छा थी। आगे मुंशी गोप को

12

तीन पुत्र थे। स्व0 बक्कू गोप, बक्कू गोप एवं सीनू गोप। वादी आगे पुनः कहते हैं कि सीनू गोप अपने पीछे फिरंगी यादव और टुनची यादव को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए, जो प्रतिवादी द्वितीय पक्षकार के सदस्य है। जो इस वाद में पक्षकार बनाए गए हैं। पुनः बक्कू गोप अपने मृत्यु के पीछे चार पुत्र (1) भद्दू यादव (2) स्व0 लेमन यादव (3) अमल यादव एवं बिन्देश्वरी यादव को छोड़ कर मर गये। जो प्रतिवादीगण तृतीय पक्षकार के सदस्य है। लेवन यादव अपने मृत्यु के पीछे सात पुत्र- सुरेश यादव, चंदेश्वरी यादव(मृत) नागो यादव, फूली यादव, अरूण यादव, बरूण यादव एवं अरविंद यादव। स्व0 चंदेश्वरी यादव को एक पुत्र हुए- दिग्गु यादव। इन सबों को प्रतिवादी प्रथम पक्षकार के सदस्य बनाए गए हैं। अमल यादव को एक पुत्र मटकू यादव हुए, जो कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष के सदस्य है। आगे स्व0 सिताबी यादव को दो पुत्र हुए, लेलहू यादव एवं उमेश यादव। ये इस वाद पत्र में वादीगण हैं।

4) वादीगण का आगे दावा है कि परिवार भूसम्पत्ति वासगीत जो इस वाद पत्र के विषय बिंदु है। जिसके तफसील इस वाद पत्र के सिड्ल-2 में अंकित है, दखल में था। आगे दिगपाल गोप उर्फ दिकपाल और स्व0 मुन्नू गोप अपना चुल्हा चौका काफी वर्षों पूर्व अलग कर लिये और उनलोगों को अपना अलग अलग घर था। जिस पर ये सभी मौखिक बंटवारा के आधार पर दखलकार थे। जबकि नाप-जोख के आधार पर कोई बंटवारा नहीं था। पक्षकारों ने कृषि योग्य भूमि को विक्रय कर दिया और वास भूमि को बचाए रखा।

5) वादी का आगे कहना है कि स्व0 अघोधी यादव को कोई पुरूष संतान नहीं थी। उन्हें केवल पुत्रियाँ थी, जिन्हें प्रतिवादी तृतीय पक्ष इस वाद में बनाई गई है।

प्रतिवादीगण तृतीय पक्षकार के सभी सदस्य शादी सुदा है। वे सभी अपने वैवाहिक स्थल पर बस गयी है। अतएव अयोधी यादव के को जमीन जायदाद को देखभाल करने वाला वहाँ कोई नहीं रहा। क्योंकि उनकी पत्नी भी उनके जीवन काल में मर चुकी थी। उसके बाद लैलहू यादव अयोधी यादव के सेवा सुश्रुषा की और तब ही उन्हें अयोधी यादव का प्यार, स्नेह और विश्वास प्राप्त हुआ। जैसी की अयोधी यादव की अंतिम इच्छा थी कि उनका श्राद्ध कर्म वही संपन्न करें। जिन्होंने बदले में मुखाग्नि भी दी। और जो अयोधी यादव के आवासीय हिस्से में जो आठ- दस धुर की वासगीत भूमि थी में वास करने लगे। जिसे मृतक अयोधी यादव के द्वारा स्वेच्छापूर्वक उन्हें दे दिया गया था।

वादीगण आगे कहते है कि उनके पिता सितावी यादव ने xxxxxx $12\frac{1}{2}$ धुर जमीन जो वादगत भूमि है, उसे दिनांक 27.4.66 ई० को xxxxxx खरीदी। जिसकी विवरणी इस वाद के सिडुल तीन में दी गयी है। उक्त खरीदी जमीन पर वादीगण ने अपने आवासीय घर बनाया। अतएव वादीगण वाद गत भूमि के चौथाई हिस्से के हकदार है। अपने पिता अयोधी यादव की खरीदी व अर्जित की हुयी जमीन के अलावे, पूर्ण हिस्सा जो इस वाद के (ii) में अंकित है के वादीगण हकदार हैं।

5) वादीगण आगे इल्जाम लगाये कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष प्रतिवादी द्वितीय पक्ष की मिलीभगत से जो संख्या में भी अधिक है जबरदस्ती सम्पूर्ण जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। तथा उस वाद को दायर करने में व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते हैं।

वादीगण आगे आरोपित किये कि उनके पिता सन 1964 ई. में ही गुजर गये जब वे नावालिग थे। हाल सर्वे के दरम्यान प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पिता स्व० सोमन यादव के द्वारा पारिवारिक कारोबार की देखभाल और प्रबंध किये जाते रहे थे और जो सर्वे अमला की मिलीभगत से पुनरीक्षण सर्वे अपने पक्ष में करवा लिये। जिसके परिणाम स्वरूप इस वाद को यहाँ लाना पड़ा।

14

इस केश के दायर करने का कारण 22.3.1977 को पैदा हुआ। जब हाल खतियान का अंतिम प्रकाशन हुआ और जब वादीगण उस वक्त नाबालिग थे और जो कइ मौकों पर प्रतिवादीगण से वादीगण अनुरोध किये। कई मौकों पर प्रतिवादी प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से अनुरोध किए कि वादगत भूमि आपस में शांति पूर्ण ढंग से बंटवारा कर लें। और अंतिम रूप से 20.2. 1994 ई0 को जब प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के अनुरोध को अंतिम रूप से ठुकरा दिया गया।

6) कि प्रस्तुत वाद को पूरी जानकारी एवं ज्ञान के बावजूद भी प्रतिवादीगण इस वाद में लड़ने के लिये उपस्थित नहीं हुआ। आदेश फलक के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादी संख्या 13,14 और 15 दिनांक 1.6.95 ई. को न्यायालय में उपस्थित हुए तथा एक सुलहनामा आवेदन दाखिल किये। प्रतिवादी संख्या 7.8.9.10.11, एवं 16 को व्यक्तिगत स्तर पर सम्मन भी तामिल हुए। दिनांक 23.7.96 ई0 के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 1,2,3,5, 12 निबंधित सम्मन को लेने से इंकार कर गये। प्रतिवादी संख्या-4 वो 6 को निबंधित सम्मन का तामिला (गौसवारा) प्राप्त नहीं हुआ। जबकि एकमहीना से ज्यादा गुजर गये। हलांकि प्रतिवादी संख्या 13 से 15 पूर्व में भी हाजिर हो चुके हैं। अतः ट्रायल एक तरफा चलाया गया। प्रतिवादी संख्या 13 से 15 को छोड़कर सबों के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 13 से 15 बाद में उपस्थित होना भी छोड़ दिये और उनके तरफ से कोई भी लिखित बयान दाखिल नहीं किया गया है जबकि बाँकी प्रतिवादी को तरफ से लिखित बयान दाखिल किया गया। अतएव कोई अन्य औपचारिक बिंदु भी आरोपित नही किये गये हैं। जो मुख्य बिंदु इस वाद में विचारण हेतु उठाए गए है, जो नीचे दिए जाते हैं।

15

(i) क्या जो वाद दायर किया गया है, चलाने योग्य है ?

(ii) क्या अयोधी यादव का हिस्सा केा वादी पाने का हकदार है?

(iii) क्या दिनांक 27.4.66 ई0 को अयोधी यादव के द्वारा सितावी यादव के पक्ष में केवाला दस्तावेज जो तामिल वो तहरीर किया गया है, वह सही औरवैध है ?

(iv) क्या वादी के द्वारा बंटवारा को हिस्से को कहानी सही है ?

(v) क्या वादीगण के द्वारा राहत हेतु जो प्रार्थना किए गए हैं, उसके हकदार हैं ?

निर्णय:- 7.- वादीगण ने अपने मामले के समर्थन में चार गवाहों,- नरेश यादव, (व.सं0- 1) संजीव कुमार यादव (व0सं0-2) रामविलास झा (व0 सं0-3) और उमेश कुमार यादव (व0सं0-4) उपरोक्त गवाहों में से अभियोजन साक्ष्य संख्या- 1 से 3 के विन्दु पर गवाह है। अभियोजन साक्ष्य संख्या 4 वादी स्वयं है। सभी गवाहन पुनीत गाँव के हैं। जहाँ पर वादगत भूमि अवस्थित है और जहाँ वादीगण एवं प्रतिवादी गण रहते आ रहे हैं। इसलिए उनसबों से आशा की जाती है कि वे सत्य केा जानते हैं। वादीगण के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। पहचान संख्या 1(क) दिनांक 27.4.66 केा अयोधी यादव के द्वारा सितावी यादव के पक्ष में तामिल किया गया, केवाला दस्तावेज पहचान संख्या- 2/1 से सी0-खतियान की प्रति।

8. बिंदु संख्या -2 यहकहा गया है कि अयोधी यादव को कोई पुरुष संतान नहीं थी। उन्हें केवल लड़कियाँ थी। जो शादी शुदा है। उन्हें प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी द्वितीय प्रकार के रूप में दर्शाया गया है। अयोधी यादव की सभी पुत्रियाँ अपने अपने ससुराल में बस गयी है। जहाँ अयोधी यादव की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। (बिल्हू यादव वादी सं01) ने उनकी अच्छी सेवा की। जबकि बिल्हू यादव ने उनकी अंतिम क्रिया यानि श्राद्ध-कर्म भी संपादित किया। उसके बाद वे अयोधी यादव के जमीन आठ धूर दस धुरकी पर दखल कार हुए। जिस बाद का

 16

समर्थन पूर्णरूपेण प्रतिवादी तीसरे पक्ष के द्वारा भी किया गया। प्रतिवादी तृतीय पक्ष वादीगण के साथ सुलहनामा भी किया है। उनलोगों ने अपने सुलहनामा आवेदन में इस तथ्य को स्वीकार किये हैं कि उन्हें अयोधी यादव के जमीन से कोई मतलब वो सरोकार नहीं रहा है। अयोधी यादव अपने जीवनकाल काल में ही मौखिक रूप से ~~xxx~~ वादीगण को मौखिक रूप से अपनी जमीन दान स्वरूप दे दी थी। कोई अन्य प्रतिवादी उपरोक्त तथ्यों का विरोध करने ~~xx~~ को उपस्थित नहीं हुए। स्पष्ट रूप से प्रतिवादी तृतीय पक्ष अयोधी यादव के सम्पत्ति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। जिन्होंने वादीगण के दावे का समर्थन किये हैं। तदनुसार मैं इस वाद को स्वीकार करने के अलावे कोई विकल्प नहीं रखना चाहता हूँ कि वादीगण के उस सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी हकदार हैं। यह मामला तदनुसार वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

9) विंदु संख्या । 3 व 4- सुविधा के ख्याल से मैंने दोनों बिन्दुओं को एक साथ निर्णय करने हेतु स्वीकार किया है। यह स्वतः सिद्ध है कि अयोधी यादव ने दिनांक 27. 4. 1966 को सिताबी यादव के पक्ष में निबंधित केवाला दस्तावेज तामिल वो तहरीर किए थे। जो वादीगण के पिता हैं। उक्त केवाला दस्तावेज पहचान संख्या 1 एक है। इसका अवलोकन किया तथा मैंने पाया कि केवाला दस्तावेज सही वो प्रमाणित है। यह तथ्य प्रतिवादी तृतीय पक्ष के द्वारा भी समर्थित है। जैसा कि सुलहनामा आवेदन में कहा गया है। सुलहनामा आवेदन के पारा-। में प्रमाणित है कि जो प्रतिवादी तृतीय पक्ष के द्वारा किया गया है कि अयोधी यादव ने अपने जीवन काल में अपनी वासगीत भूमि $12\frac{1}{2}$ धूर के संबंध में दिनांक 27. 4. 66 ई0 को ही केवाला दस्तावेज तामिल कर दिया था और उसके बाद वादीगण एवं उसके पिता दखलकार हुए। और तब से वादीगण के पिता के मृत्यु के बाद भी वादीगण शांतिपूर्ण

17

ढंग से दखल कब्जा रखते आरहे हैं तथा इससे आगे वादीगण को कभी इस वादगत भूमि के किसी भी अंश से कोई मतलब व सरोकार नहीं रहा है। प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त तथ्यों से मुकरने का कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। तदनुसार इससे अस्वीकार करने अथवा अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता।

आगे अभियोजन संख्या 1,2,3 ने अपने साक्ष्य में इस बात का खुलासा किये हैं कि सिडुल -11 की जमीन सम्मिलात है। अभियोजन साक्ष्य -4 वादी स्वयं हैं। जिन्होंने अपने साक्ष्य के धारा पांच में खुलासा किए हैं कि वादीगण खेसरा संख्या 3112 +3+2 में पांच धूर की हिस्सा प्राप्त किए हैं। यह उन सबों की खतियानी जमीन है। उक्त जमीन अभी भी सम्मिलित है। तथापि इसका अभी तक नाप से बंटवारा नहीं हुआ है। दोनों ही पक्षकार उस पर सम्मिलित रूप से दखलकार हैं।अभियोजन साक्ष्य संख्या-4 धारा संख्या -6 में कहते हैं कि वादपत्र के सिडुल पर्द-ए में अंकित जमीन एक कट्ठा छः धूर जो उनके हिस्से में है। यह ये हकदार है। उन्होंने आगे भी इसी धारा में बताया है कि वादी के एक कट्ठा छः धूर जमीन के हिस्सा को नाप व जांच हेतु इस पर सर्वे से संबंधित प्लीडर कमीशनर प्रतिनियुक्त किया जाय। इस तथ्य प्रतिवादी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है। वादी गण ने सम्मिलित सम्पत्ति का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया है। मैं इससे अविश्वास करने का कोई कारण नहीं समझता हूं। तदनुसार दोनों ही बिंदुओं पर मैं वादीगण के पक्ष में निर्णय देता हूं।

उपर्युक्त बिंदुओं व तथ्यों के आलोक में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वाद जो यहां लाया गया है, वह चलाने योग्य है। वादीगण को मुकदमा या काउज आफ एक्सन का बिल्कुल अधिकार है। वादीगण वादगत भूमि के स्वामी व संयुक्त दखलकार हैं। वे बंटवारा के डिक्री जैसा कि प्रार्थना किया गया है, के पूर्ण हकदार हैं। तदनुसार उपरोक्त सभी बिन्दुओं को वादीगण के पक्ष में निर्णित किए जाते हैं :-

Annex 2

18

512830

बि० भा० प्रपत्र, गया ।
फरद मालकी/फरद रैयती ।
नाम रैयत मय वल्दियत जमा … — W.P. / जमा० 3235
चौहद्दी सकुनत । नम्बर ।

चौसा	पुर्णिया 88	भैलू यादव वो उमेश यादव	X

दराजी रकबा — मौजा खाता — तफसील — खाता नं० (441)

अर्जुन प्रसाद / सिताबी यादव

0.05 1/4 डी०			328-3111 — 0.04 1/2 329-3112 — 0.00 3/4 0.05 1/4 डी०

… माग मय तफसील (बकाया वो हाल) भाजदा साल का ।

2012-13

माग सालाना		बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा ।	३रा वर्ष ।	२रा वर्ष ।	१ला वर्ष ।	
मा… (नकदी)	0.60				11.40	0.60
गुज… (…)	0.20				2.90	0.20
से…	0.40				5.80	0.40
*…	0.40				5.80	0.40
मुतफरकात	0.20				2.40	0.20
मीजान	1.80				28.30	1.80

तफसील अदायकारी ।

2012-13

अदायकारी साल	बकाया				मोतावला हाल ।	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	…	३रा वर्ष ।	१ला वर्ष ।		
म… (नकदी)				11.40	0.60	
गुज… (…)				2.90	0.20	
से…				5.80	0.40	
*…				5.80	0.40	
मुतफरकात				2.40	0.20	
मीजान अदायकारी				28.30	1.80	← 30.10

(१) मीजान … (… शब्दों में) मो० तीस रु० 36 पैसे मात्र
(२) नाम … उमेश यादव
(३) …
… दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा । (signature) 21/6/12

*खा … मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी … … किया जाता है ।

१व० न० प्रस, गया ।

फरदै मालकी/फरद रैयती ।

नाम रैयत मय वल्दियत जमा...

मौसकुनत । नम्बर ।

चौसा दुर्गाबेंग 88 / लखन्दू यादव वो उमेश यादव

... सिताबो यादव

तफसील

WP 910 3235

512630 19

0.05 1/4 डी०

328 - 3111 - 0.04 1/2
329 - 3112 - 0.00 3/4
0.05 1/4 डी०

... माल मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का ।

2012-13	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा ।	३रा वर्ष ।	२रा वर्ष ।	१ला वर्ष ।	
मा...	0.60				11.40	0.60
गुज...	0.20				2.90	0.20
सेस	0.40				5.80	0.40
*...	0.40				5.80	0.40
मुतफर्रकात	0.20				2.40	0.20
मीजान	1.80				28.30	1.80

तफसील अदायकारी ।

2012-13	बकाया				मोतावला हाल ।	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	...र्ष	२रा वर्ष ।	१ला वर्ष ।		
मा... (नकदी)				11.40	0.60	
गुजारी (नकदी)				2.90	0.20	
सेस				5.80	0.40	
*...				5.80	0.40	
मुतफर्रकात				2.40	0.20	
मीजान अदायकारी				28.30	1.80	

30.10

(१) मीजान ... (अक्षरों में) मो. तीस रु० 36 पैसे मात्र

(२) ... रसीद 3424438

(३) ...

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा ।

*खा... तनखाजा... पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी ... किया जाता है ।

21/6/12

श्रीमान् अंचल अधिकारी
चौसा

Annexure-J

24

विषय (जमीन मापी) कराने के सम्बन्ध में।

महाशय,

सेवा में निवेदन है कि मौजा फुलौत थाना नं० 88 के अन्तर्गत मेरे खाता खेसरा की जमीन का मैं मापी सरकारी अमीन द्वारा कराना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे बगल वाले पड़ोसी कुछ जबरन ले लिया करते हैं। श्रीमान् से प्रार्थना है कि अमीन का सरकारी फीस जमा करवाकर मापी करने का आदेश दिया जाय।

(हाशिये पर: सम्बन्धित कर्मचारी ... 29/07/09)

मौजा	खाता	खेसरा	रकबा (ए.डी.)
फुलौत	328	3999	0.04½
	उक्त	3992	0.03/8
		889	0.01/2
	कुल	3372	

प्रार्थी

नाम उमेश यादव पिता
स्व० [illegible] यादव
ग्राम + पो० फुलौत
जिला मधेपुरा

महाशय आवेदक के जमीन की मापी करने का आदेश देकर मापी करा कर शान्ति व्यवस्था कायम करवाया जाय।
राजीव मेहता
सरपंच फुलौत पूर्वी
29/07/09

Annexure-3

474

500-

500-

30.7.09

Annexure-4

श्रीमान् ओ०पी० प्रभारी
फुलौत

विषय लूटपाट व मारने के सम्बन्ध में।

महाशय,

सेवा में निवेदन है

कि ओ०पी० फुलौत परिक्षेत्रान्तर्गत के अन्तर्गत [illegible] यादव मेरा घर है। मेरे जमीन पर श्री [illegible] यादव [illegible] फुलौत [illegible] पिता [illegible] रहता है। मैंने उनको [illegible] का [illegible] दे रहा था। मैंने उनको [illegible] देने से मना करने पर उन्होंने मेरे गले में गमछा लगाकर मारने लगा एवं मेरे पास [illegible] रखा था २५००) दो हजार पाँच सौ रुपया छीन लिया। [illegible] मैंने हल्ला किया [illegible] तब [illegible] दौड़ कर आये तथा [illegible] वाले दौड़ कर [illegible] मेरी जान बचाई। यदि वो लोग नहीं आते तो मुझे जान से मार देता। घटना दिनांक 23.6.2010 को [illegible]

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि [illegible] जाँच कर उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाय।

श्रीमान का
प्रार्थी
[illegible] यादव
23-6-2010

Annexure-4

श्री मान् एस०पी० प्रभारी
फुलौत

विषय (जबरन मारने के सम्बन्ध में)

महाशय,

सेवा में निवेदन है
कि मैं ग्रा० फुलौत पश्चिम पंचायत के अंतर्गत मैं रहता हूँ। मेरे जमीन पर श्री अरविन्द यादव पिता स्व० [illegible] ग्राम० फुलौत ने कब्जा कर लिया है रहा है। मैंने उनको मना करने के [illegible] उन्होंने मेरे गला में गमछा लगाकर मारने लगा एवं मेरे पास 2500) दो हजार पांच सौ रुपया जबरदस्ती निकाल लिया। जब मैं हल्ला किया तो गांव वाले दौड़ कर आये तथा बचाया [illegible] और [illegible] दौड़कर मुझे बचाया। यदि वो लोग नहीं आते तो मुझे जान से मार देता। आज दिनांक 23.6.2020 को [illegible]

अतः श्री मान से प्रार्थना है कि [illegible] जांच कर उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाय।

श्री मान का
प्रार्थी
लालू यादव
23-6-2020

24

सेवा में,
श्रीमान पुलिस अधीक्षक
मधेपुरा

महाशय

निवेदनपूर्वक आग्रह करना है कि मेरे जमीन पर दिनांक 23.6.10 को समय करीब 9½ बजे दिन में अरविन्द यादव पे० स्व० सोमर यादव सा० - फुलौत थाना - चौसा (फुलौत ओ०पी०) जिला मधेपुरा जबरदस्ती ईंट का दीवाल दे रहा था तो मैंने उसको रोका तो उपरोक्त (1) अरविन्द यादव (2) डब्लू यादव पे० स्व० चन्देश्वरी यादव (3) मुकेश यादव पे० स्व० फुले यादव (4) परमीला देवी पति अरविन्द यादव सभी सा० फुलौत थाना - चौसा (फुलौत ओ०पी०) जिला - मधेपुरा ने मिलकर मुझे पकड़कर लात मुक्का से सभी ने मारपीट किए और अरविन्द यादव एवं डब्लू यादव ने मिलकर मेरे गला में गमछी लपेटकर दोनों पकड़कर जान मारने के नीयत से खींचने लगा मेरा साँस फूलने लगा तब मेरी पत्नी आकर अरविन्द यादव के पैर में लटक गई तब मैं किसी प्रकार अपना जान बचाया तब मुकेश यादव मेरे जेब से 2500 रु० जबरदस्ती ले लिए तथा परमीला देवी मेरी पत्नी के कान से सोने का फूल कीमत करीब 8000 रु० छीन लिए तब वहाँ के ग्रामीण सत्य नारायण महतो एवं कृष्णावतार सिंह आदि अनेक लोग जुट गए और उ लोगों को मना किए तो सभी व्यक्ति वहाँ से चले गए तब मैं फुलौत ओ०पी० जाकर घटना की सूचना दिए लेकिन अभीतक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सका है। मैं बिल्कुल गरीब एवं असहाय व्यक्ति हूँ जबकि उपरोक्त व्यक्ति अपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं और कई मुकदमें में अभियुक्त बने हैं जिसके कारण सभी व्यक्ति उससे अंदर से भयभीत रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में श्रीमान ही मेरे जैसे गरीब एवं असहाय व्यक्ति को इन्साफ दिला सकते हैं।

अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त व्यक्तियों पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए जिसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा।

प्रार्थी

[signature] यादव

2/10/12

पिता - स्व० शिवाजी यादव
ग्रा० - फुलौत थाना - चौसा (फुलौत ओ०पी०)
जिला - मधेपुरा।

25

सेवा में

श्री मान् सरपंच महोदय,

फुलौत पश्चिम।

विषय:- नापी करवा कर मकान का आधार दिलवा करवाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि सुरेश यादव व नागो यादव व अरविन्द यादव व सभी का पे० स्व० सोमर यादव व डब्लू यादव पे० स्व० चन्देश्वरी यादव सभी सा० ग्रा० प० [illegible] - पासा, थाना मधेपुरा निवासी मेरा जमीन पर कब्जा कर रहा है [illegible] तथा जमीन छोड़ नहीं रहा है। जमीन मेरे हक का है [illegible] कई बार मारपीट भी किया है एवं [illegible] धमकी देता है।

अतः श्री मान से प्रार्थना है कि निम्नांकित ब्योरे की जमीन पर [illegible] अधिकार दिलाया जाय। इस काम के लिए श्री मान का सदा आभारी रहूँगा।

मौजा	खाता	खेसरा	रकबा
फुलौत 88	328	3111	0.4½
	329	3115	0.03
			05½ डी०

विश्वासभाजन
अनिरुद्ध यादव
पे० स्व० सितानी यादव
सा० - फुलौत
पं० - फुलौत प०
थाना - चौसा
मधेपुरा

[signature]
सरपंच
ग्राम कचहरी फुलौत पश्चिमी
प्रखण्ड-चौसा (मधेपुरा)

9-2-2013

Annex-

26

सेवा में,

1) माननीय मुख्य मंत्री बिहार सरकार
2) महामहिम डी.जी.पी. साहब बिहार
3) महामहिम गृह आयुक्त पटना
4) आई.जी. साहब दरभंगा
5) डी.आई.जी साहब सहरसा

विषय : स्थानीय प्रशासन से निराश होकर मेरा जान बचाने के लिये किसी वरीय पदाधिकारी से जाँच कराने के सम्बंध में ।

महाशय,

निवेदन है कि 1.सुरेश यादव 2.नागो यादव 3.कमल यादव 4.अरविन्द यादव पे0 स्व0 समर यादव 5.कब्बू यादव पे0 स्व0 चन्द्रेश्वरी यादव सभी सा0 कुसीत थाना चौसा, जिला मधेपुरा का निवासी है जो काफी जनसंख्या में है और अपराधिक चरित्र का व्यक्ति है जिनका तालुक गाढ़ दियारा क्षेत्र के अपराधियों से रहता है ।

1996 ई0 में खाता सं0 328,329 खेसरा 3111,3112 रकबा । कठा 6 धूर का जमीन का केस हार गया हारने के बाद किसी वरीय न्यायालय में अपील नहीं किया । चूँकि वास परचा के तहत दावा करता था । इसलिए केस हार गया । कभी न्यायालय में हाजिर भी नहीं हुआ मुझे माननीय न्यायालय से जजमेंट प्राप्त है । गाँव के सरपंच के सामने पंचायत हुआ उसका पंचनामा कोर्ट के निर्णय का कॉपी संलग्न है । जमाबंदी मालगुजारी रसीद का फोटो कॉपी संलग्न है । हम घर में अकेले हैं और गरीब आदमी हैं मुझे जान मारकर मेरा घर जमीन हड़पना चाहता है । बार-बार स्थानीय पदा0 को लिखा कोई कार्रवाई नहीं हुई ।

अत: श्रीमान् से निवेदन है कि किसी वरीय उच्च पदा0 से जाँच करवाकर उचित कानूनी कार्रवाई की जाय ।

ताकि मेरा जानमाल बच सके ।

श्रीमान् का विश्वासी

सोमन यादव सोमन यादव

पिता स्व0 शिवाजी यादव

सा0 कुसीत, थाना चौसा, जिला मधेपुरा

दिनांक- 19/1/2012

13/1/2012
को मधेपुरा
डाक घर से
रजिस्ट्री कराये,

27

बीमा नहीं NOT INSURED

क्रमांक No. 457

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य ... पै०
Amount of Stamps affixed Rs. P.
एक रजिस्ट्री ... प्राप्त किया
Received a Registered
पानेवाले का नाम
Address to

तारीख मोहर Date Stamp

पानेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

बीमा नहीं NOT INSURED

क्रमांक No. 458

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य ... पै०
Amount of Stamps affixed Rs. P.
एक रजिस्ट्री ... प्राप्त किया
Received a Registered*
पानेवाले का नाम
Address to

तारीख मोहर Date Stamp

पानेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

बीमा नहीं NOT INSURED

क्रमांक No.

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य 2 पै०
Amount of Stamps affixed Rs. P.
एक रजिस्ट्री ... प्राप्त किया
Received a Registered
पानेवाले का नाम
Address to

तारीख मोहर Date Stamp

पानेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

बीमा नहीं NOT INSURED

क्रमांक No.

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य ... पै०
Amount of Stamps affixed Rs. P.
एक रजिस्ट्री ... प्राप्त किया
Received a Registered
पानेवाले का नाम
Address to

तारीख मोहर Date Stamp

पानेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

बीमा नहीं NOT INSURED

क्रमांक No.

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य ... पै०
Amount of Stamps affixed Rs. P.
एक रजिस्ट्री ... प्राप्त किया
Received a Registered*
पानेवाले का नाम
Address to

तारीख मोहर Date Stamp

पानेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer